जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

क्रमांक:जोधपुर डिस्कॉम/अ०अ०/पी०पी०एण्ड एम०/पत्रा० /प्रे. 27 दिनांक

आदेश

विषय:- बढ़े हुये भार की स्वैच्छिक घोषणा ।

- - -

इस कार्यालय के आदेश संख्या क्रमांक:जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पी०पी०एण्ड एम०/पत्रा० / प्रे: 75 दिनांक 12.03.2001 के द्वारा 30.04.2001 तक जो कृषि उपभोक्ता अपने बढ़े हुये भार की घोषणा करेगा उसे आवेदन के साथ मात्र रू० 700/- प्रति हार्स पावर की दर से जमा कराने पर तुरन्त प्रभाव से लोड बढ़ाये जाने के आदेश हैं । परन्तु सर्वे के दौरान बढ़े हुये लोड के पाये जाने पर कार्यवाही किये जाने के बारे में किसी प्रकार के निर्देशों का उल्लेख नही है । निगम के कुछ अधिकारियों ने इस बारे में स्पष्टीकरण चाहे हैं ।

अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि 30 अप्रेल-2001 तक निगम के अधिकारीगण कृषकों के कुओं का पूर्ण सर्वे करेंगे तथा स्थापित भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर उपभोक्ता को स्वीकृत भार बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे । इस सर्वे के दौरान कोई अधिभार के मामले न बनाकर त्वरित गति से बढ़े हुये भार की स्वीकृति जारी की जाये तथा इस आदेश में उल्लिखित छूट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाये । सर्वे में सामने आये तथा स्वैच्छिक घोषित दोनों प्रकार के मामले 15 दिवस के भीतर निस्तारित किये जायें तथा अगले बिलिंग माह से बढ़े हुये भार के बिल जारी होना सुनिश्चित किया जायें ।

यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि यदि किसी उपभोक्ता ने 5 एच०पी० से 7.5 एच०पी० लोड बढ़ाने का आवेदन किया है उससे रू० 700/- प्रति हार्स पावर की दर से रू० 1750/- (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल हैं) एवं बढ़े हुये लोड की अमानत राशि जमा करवाकर लोड बढ़ा दिया जाय तथा जिन उपभोक्ताओं का सर्वे के दौरान बढ़ा हुआ लोड पाया जावे उनसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जावे । यह आदेश शहरी क्षेत्रों में घरेलू दर पर कृषि कार्य हेतु एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल स्कीम में कृषि कार्य हेतु जारी कनेक्शनों के अलावा कृषि कनेक्शनों पर लागू होगा । शहरी क्षेत्रों में घरेलू दर पर कृषि कार्य हेतु एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल स्कीम मे जारी कृषि कनेक्शनों से रू० 1450/- प्रति हार्स पावर लोड बढ़ाने हेतु लिये जावेंगे ।

(ई० बी०के० पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०एण्ड एम०)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।